2016/00227

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 37/2016 श्री राजेन्द्र कुमार बनाम श्री राधेश्याम

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ दिनांक 30–06–2016 प्रकरण संख्या 70/2015 रेवेन्यू वाद	
28–3–2018	वकील अपीलान्ट व जी.ए. उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 से 7 के अधिवक्ता दौराने बहस अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। वकील अपीलान्ट व जी.ए. की सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 4–2–2016 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 12, 13 की तलबी तथा प्रतिवादी संख्या–14 के जवाब में लम्बित है। दिनांक 3–3–2016 को भी यही स्थिति है। दिनांक 7–4–2016 को भी पत्रावली तलबी में लम्बित है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9–5–2016 को प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक 30–6–2016 को रखे जाने की आदेशिका अंकित की है परन्तु लोक अदालत के नोटिस अपीलान्ट प्रतिवादी को दिये जाने की अथवा राजीनामा होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 30–6–2016 को प्रतिवादीगण को सुने बिना, सूचित किये बिना तथा जवाबदावा लिए बिना, तलबी शेष होने के बावजूद प्रकरण में दिनांक 30–6–2016 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी है, जो स्पष्टतया प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30–6–2016 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक **29–5–2018** को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्ख्खे...........08.............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 37/2016 श्री राजेन्द्र कुमार बनाम **श्री राधेश्याम**

1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।